

पर्यावरणीय प्रदूषण (मृदा एवं ध्वनि)

Environmental Pollution (Soil and Sound)

Paper Submission: 00/00/2020, Date of Acceptance: 00/00/2020, Date of Publication: 00/00/2020



रामकृत कुमार अरुण

सहायक प्रोफेसर,
वाणिज्य संकाय,
वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
महोबा (उ०प्र०) भारत

सारांश

सम्पूर्ण भूमण्डल पर निवास करने वाले समस्त मानव जाति का उत्तर दायित्व है, कि सम्पूर्ण पृथ्वी को मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण से उसकी रक्षा की जाये। लेकिन विश्व के मनुष्यों द्वारा लगातार मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण के द्वारा सम्पूर्ण स्थल मण्डल को प्रदूषित किया जा रहा है।

इस समय वर्तमान में विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है, जो मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण से प्रदूषित नहीं है। इसलिए मनुष्य व मानव जाति का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व है कि जिन कारणों से मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण होता है, उन सभी कारणों का गहन एवं तुलनात्मक विश्लेषण विश्लेषणात्मक अध्ययन करके मनुष्य द्वारा उन कारकों को कम किया जाये। जिसके कारण मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण में कमी लायी जा सके। मृदा प्रदूषण के निम्न कारण है जैसे कि मृदा अपरदन, रसायनों का प्रयोग, भूमिगत अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, लवणीय जल, नगरीय अपशिष्ट खनन, अपशिष्ट इत्यादि। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण के निम्न कारण है जैसे कि प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत, जीवीय स्रोत जैसे जंगली जानवरों की तीव्रता वाली आवाजा, बादलों की गरज या गड़गड़ाहट, उच्च वेग वाली वायु, तूफान जैसे हरीकेन, झंझावत (गेल) टारनैडो, सुनामी, उच्च तीव्रता वाली जल वर्षा, कृत्रिम स्रोत— हवाई जहाज, जेट विमान, मोटर गाड़ियाँ, रेल गाड़ियाँ, पटाखे, विस्फोटक हथियार, बन्दूक, राइफल, परमाणु बम परीक्षण, परमाणु मिसाइलें इत्यादि। यदि इन सब कारणों पर मानव जाति द्वारा सामूहिक रूप से मिलकर एक जुट होकर पूरे मनोयोग से प्रयास किया जाये तो निश्चित रूप से इसमें कमी लायी जा सकती है। इन सभी कारणों एवं इनके प्रभावों एवं इनके दूर करने वाले उपायों पर गहन विश्लेषण करके इनका विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

The answer is the responsibility of all mankind living on the entire planet, that the entire earth should be protected from soil and noise pollution. But the entire site is being polluted through soil and noise pollution by humans of the world.

At present, there is no country in the world that is not polluted by soil and noise pollution. Therefore, the whole answer of man and mankind is the responsibility that human factors should be reduced by doing an in-depth and comparative analysis of all the reasons which cause soil and noise pollution. Due to which the soil and noise pollution can be reduced. The following are the causes of soil pollution such as soil erosion, use of chemicals, underground waste, industrial waste, saline water, urban waste mining, waste etc. Similarly, there are low causes of noise pollution such as natural sources, artificial sources, celestial sources such as the loud movement of wild animals, thunder or thunder of clouds, high velocity air, hurricanes such as hurricanes, gale tornadoes, tsunamis, high Intense water rain, artificial sources - airplanes, jet aircraft, motor vehicles, train vehicles, firecrackers, explosive weapons, firearms, rifles, nuclear bomb tests, nuclear missiles etc. If mankind collectively tries on all these reasons and collectively tries, it can definitely be reduced. A detailed study of all these causes and their effects and measures to overcome them has been presented in detail.

मुख्य शब्द : ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्राकृतिक स्रोत, विशिष्ट यांत्रिक, हर्ट्ज, ध्वनि प्रदूषक, प्राकृतिक स्रोत, गड़गड़ाहट, टारनैडो, कृत्रिम स्रोत, जीवीय स्रोत, कर्कश ध्वनि, विस्फोटक हथियार, जीवीय स्रोत, अट्टाहास, लड़ाई—झगड़ा, ध्वनि तीव्रता, वाट्स इकाई, सोनिकबूम, मैकइकाई, संस्थान, स्वीकृत, अवांछित, नपुंसकता, मस्तिष्क, शारीरिक विकृतियाँ, औद्योगिक क्षेत्र, नियंत्रण,

सकारात्मक, अन्तर्राष्ट्रीय, लाउडस्पीकर, संरक्षण, स्वीकार्य, फ़ैक्ट्री अधिनियम, राइजोवियम, पाइराटस, अपशिष्टों, कीटनाशियों, वनोन्मूलन, अम्लवर्षा, झूमिंग कृषि, मृदा अपरदन, भूमिगत अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट।

Noise pollution, soil pollution, natural sources, specific mechanical, hertz, sound pollutants, natural sources, thunder, tornado, artificial sources, pneumatic sources, hoarse sound, explosive weapons, pneumatic sources, attack, fighting, sound intensity, watts unit, Sonicboom, macaikai, institute, accepted, unwanted, impotence, brain, physical deformities, industrial sector, control, positive, international, loudspeaker, conservation, acceptable, factory act, rhizovium, pirates, wastes, pesticides, deforestation, acidosis, jhoming agriculture, Soil erosion, underground waste, industrial waste.

प्रस्तावना

मृदा प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के बारे में उनके अर्थ एवं परिभाषा की व्याख्या की जायेगी। सबसे पहले मृदा प्रदूषण के बारे में विस्तृत जानकारी एवं परिचय से सम्बन्धित तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

मृदा प्रदूषण

प्राकृतिक स्रोतों या मानव जनित स्रोतों या दोनों स्रोतों से मिट्टियों की गुणवत्ता में कमी होने को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा की गुणवत्ता में कमी निम्न कारणों से होती है। मिट्टियों में ह्यूमसकी मात्रा में कमी, तापमान की अधिकता एवं न्यूनतमा, तेज गति मृदा अपरदन, मिट्टियों में नमी का आवश्यकता से अधिक या बहुत कम होना। मिट्टियों में अनेकों प्रकार के प्रदूषकों का प्रवेश एवं सान्द्रण, झूमिंग कृषि, मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों में कमी, अम्ल वर्षा, वनोन्मूलन, मिट्टी के ऊपरी सतह पर ही सूक्ष्मजीवों का निवास होता है। यही कारण है कि मिट्टी को जैविक कारखाना कहा जाता है।

मृदा प्रदूषण के कारण

मृदा प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं:-

मृदाअपरदन

मृदाअपरदन के जैव स्रोत या कारकों के अन्तर्गत उन सूक्ष्म जीवों तथा आवांठित पौधों को शामिल किया जाता है जो मिट्टी की गुणवत्ता या उर्वरता को कम करते हैं। सूक्ष्म जीव मिट्टियों में प्रवेश करके उन्हें प्रदूषित करते हैं। मृदाअपरदन से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, बाढ़ आना, कृषि क्षेत्र में कमी, आदि पर प्रभाव पड़ता है।

रसायनों का प्रयोग

जैवनाशी रसायन विषैले रूप में आहार शृंखला में प्रविष्ट होता है। डी0डी0टी0 का छिड़काव अत्यधिक हानिकारक है।

भूमिगत अपशिष्ट

कृषि रसायनों के कारण मृदा की निचली परत प्रदूषित होती है। इसका प्रभाव मेढक, चूहें आदि छोटे जीवों पर पड़ता है।

औद्योगिक अपशिष्ट

कारखानों, कोयले की खान, अप्रक की खान आदि औद्योगिक कारकों से मृदा की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। कारखानों से निकलने वाली क्लोरीन तथा नाइट्रोजन जैसे जल में पहुँचकर मृदा को प्रदूषित करते हैं।

लवणीय जल

उच्च लवणीय जल के प्रयोग से मृदा प्रदूषित होती है। लवणता अधिकतम सान्द्रण फसलों के लिए नुकसानदेय होता है।

नगरीय अपशिष्ट

वाणिज्यिक एवं घरेलू अपशिष्ट को नगरीय अपशिष्ट माना जाता है। फाइबर, धातु, काँच, प्लास्टिक, कूड़ा-करकट, खाद्य पदार्थ नगरीय अपशिष्ट है।

खनन अपशिष्ट

खनन से उत्पन्न हुए अपशिष्ट को मृदा में छोड़ दिया जाता है। यह मृदा को प्रभावित करती है।

ध्वनि प्रदूषण:-

किसी भी वस्तु से उत्पन्न हुई सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। अधिक तीव्रता वाली ध्वनि के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि एक ऐसी विशिष्ट यांत्रिक तरंग है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यमों से संचालित होती है। ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई (हर्टज) होती है।

ध्वनि प्रदूषक स्रोत या कारण

प्राकृतिक स्रोत

इसके अन्तर्गत बादलों की गरज तथा गडगड़ाहट उच्च वेग वालीवायु के विभिन्न रूप जैसे- हरीकेन, झझावट (गेल), टारनैडो आदि उच्च तीव्रता वाली जल वर्षा, जल प्रपात, सागरीय तरंगे, आदि।

कृत्रिम स्रोत

मनुष्य के विभिन्न कार्यों के समय उत्पन्न शोर तथा मनुष्य द्वारा निर्मित विभिन्न उपकरणों के कार्यरत होने पर उत्पन्न स्रोत जैसे- हवाई जहाज और जेट विमानों के उड़ान भरते समय और उतरने समय तेज आवाज पैदा होती है। सड़क पर चलने वाले वाहन स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, रेलगाड़ी आदि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। विस्फोटक हथियार, बन्दूक, राइफल, मशीनगन।

जीवीय स्रोत

जंगली एवं जानवरों की तीव्रता वाली आवाज हाथियों की चिंघाड़, आवारा कुत्तों का भौंकना, सरकस के कटघड़े में शोर की दहाड़, मनुष्यों में अट्टाहास, लड़ाई-झगड़ा आदि विभिन्न प्रकार के शोर उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः 80-90 डेसीबल तीव्रता वाली ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि तीव्रता को प्रतिवर्ग मीटर क्षेत्र में वाट्स इकाई में नापा जा सकता है। ध्वनि वेग 332 मीटर/सेकण्ड होता है। ध्वनि से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता में शोर का स्तर सामान्य औसत से बहुत अधिक रहता है।

भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत ध्वनि का स्तर
आवासीय क्षेत्रों हेतु

क्षेत्र	ध्वनि स्तर (d B)
ग्रामीण	25 - 30
उपनगरीय	30 - 40
नगरीय (आवासीय)	35 - 40
उपनगरीय (आवासीय व व्यावसायिक)	40 - 45
नगरीय (सामान्य)	45 - 55
औद्योगिक क्षेत्र	50 - 60

विभिन्न भवनों में स्वीकृत

भवन	ध्वनि स्तर (d B)
रेडियो तथा टेलीविजन स्टूडियो	25 - 35
संगीत कक्ष	30 - 35
ऑडिटोरियम, हास्टल, सम्मेलन कक्ष	35 - 40
कोर्ट, निजी कार्यालय तथा पुस्तकालय	40 - 45
सार्वजनिक कार्यालय, बैंक तथा स्टोर	45 - 55
रेस्टोरेन्ट्स	50 - 55

समस्या

मृदा प्रदूषण के प्रभाव एवं मृदा प्रदूषण के दुष्परिणाम

मृदा प्रदूषण से मानव और जैव समुदाय पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण पादपों के पोषक तत्व व प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रदूषित मृदा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में सरकार को राजस्व की हानि होती है। मृदा प्रदूषण का प्रभाव मानव पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जैसे टिटनेश, दस्त, पेचिश, सूजन, आंत-ज्वर, हुकवर्म आदि रोग मानव पर मृदा प्रदूषण के प्रभाव से होते हैं। मृदा प्रदूषण का मृदा पर प्रभाव से मृदा अपरदन, मृदा अम्लीकरण, मृदा क्षरीयकरण, की समस्या उत्पन्न होती है। खतरनाक रसायन मृदा एवं जल को प्रदूषित करते हैं। जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी होती है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव से सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है।

समस्या निवारण:- मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण एवं मृदा प्रदूषण को कम करने के उपाय

मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं-

मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर समन्वित पादप पोषण प्रबन्धन से मृदा के मौलिक गुण बने रहेंगे। डी0डी0टी0 व अन्य रासायनिक हानिकारक रसायनों पर नियंत्रण किया जाये। मृदा में उर्वरा शक्ति की वृद्धि के लिए किसानों को राइजोवियम जैसे जैव उर्वरकों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मृदा में लवणता की अधिकता हो तो उसके सुधार हेतु जिप्सम तथा पाइराट्स का प्रयोग करना चाहिए। शोधन के पूर्व औद्योगिक अपशिष्टों को लगाना चाहिए। खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। ताप तथा बिजली घरों से निकलने वाले जल को ठंडा होने के

पश्चात शुद्ध करके ही जल स्रोतों में छोड़ना चाहिए। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने C.B.P.C.W.P. की स्थापना जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण एक्ट के अन्तर्गत की है।

समस्या:- ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव एवं ध्वनि प्रदूषण के दूरगामी दुष्परिणाम

ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से मनुष्य एवं जीव जन्तुओं को प्रभावित करता है। 90 डेसीबल के ऊपर की ध्वनि के प्रभाव में लम्बे समय तक रहने वाला व्यक्ति बहरा हो जाता है। 130 से 140 डेसीबल का शोर शारीरिक दर्द उत्पन्न कर देता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण सिर दर्द, थकान, अनिद्रा आदि रोग होते हैं। शोर प्रदूषण से लैंगिक नपुंसकता भी पैदा हो सकती है। अवांछित शोर के कारण मस्तिष्क का तनाव बढ़ता है। तीव्र शोर के कारण पाचन तंत्र प्रभावित होता है। पाचन क्रिया अनियंत्रित हो जाती है। शोर के कारण अल्सर की समस्या भी बढ़ जाती है। निरन्तर शोर में रहने वाली महिलाओं के नवजात शिशुओं में शारीरिक विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। अधिक शोर के कारण एड्रिनल हार्मोन का स्राव अधिक होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव बढ़ता है। जिसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप भी बढ़ता है।

भारत में स्वीकार्य मानक ध्वनि प्रदूषण स्तर

क्र०सं०	क्षेत्र	कठ दिन में	कठ रात में
1	औद्योगिक क्षेत्र	75 d.B	70 d.B
2	वाणिज्य क्षेत्र	65 d.B	55 d.B
3	आवासीय क्षेत्र	55 d.B	45 d.B
4	शांत परिक्षेत्र	50 d.B	40 d.B

लम्बी अवधि तक ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में न्यूरोटिक मेन्टल डिऑर्डर हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पादपों व वनस्पतियों पर तीव्र ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव परिलक्षित होता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव समुद्री व्हेल मछली पर अत्याधिक पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण जन्तुओं का हृदय मस्तिष्क व यकृत प्रभावित होता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव इमारतों पर भी पड़ता है। तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जिससे मृत अवशेषों के अवघटन में बाधा पहुँचती है। दिन का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निश्चित है। रात का समय 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक निश्चित है। शिक्षण संस्थान न्यायालय तथा अस्पताल आदि के चारों तरफ 100 मीटर के केन्द्र को शान्त क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया गया है। भारत के 9 शहरों के 35 स्थानों में ध्वनि प्रदूषण मापने की व्यवस्था की गयी है।

समस्या निवारण:- ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण एवं ध्वनि प्रदूषण के दूर करने के उपाय

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

ध्वनि प्रदूषण को पूरी तरह से समाप्त कर देना सम्भव नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है। शादी समारोह में तेज संगीत बजाने पर रोक है। रात्रि में

संगीत बजाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गयी है। जन साधारण को ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न खतरों से अवगत कराया जाये। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर शोर कम करने में सकारात्मक योगदान देना चाहिए। जापान ने ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए टोकियो शहर के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जहाजों का आवागमन रात 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक के लिए बन्द कर दिया है। कारखानों तथा दीवारों में शोर शोषक दीवारों का निर्माण करना चाहिए। शोर करने वाले वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। जापान में लाउडस्वीकर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसका प्रयोग करने से पहले सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। पौधों में ध्वनि प्रदूषण कम करने की बहुत क्षमता होती है। सड़कों के किनारे हरे वृक्षों को लगा कर ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। क्योंकि हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 d.B से 15 d.B तक कम कर सकते हैं। राज्य सरकारों को वर्ष में 15 दिन रात्रि के 10 बजे के बाद भी सामान्य से अधिक शोर करने वाले उपकरणों, यंत्रों के प्रयोग की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 और ध्वनि रेगुलेशन नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार की गयी है।

भारत में ध्वनि प्रदूषण के प्रावधान

वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981

ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषकों की श्रेणी में शामिल करते हुए दण्डनीय अपराध है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986

ध्वनि प्रदूषण पर सरकार को नियंत्रण की शक्ति दण्डनीय अपराध है।

वाहन अधिनियम 1988

गाड़ी के हार्न और लाइसेन्स का सही हालत में न होना और वी0आई0एस0 के मानकों से अधिक ध्वनि करना।

भारतीय दण्ड संहिता (धारा— 268, 290 और 291)

ध्वनि उत्पाद से जनता को क्षति और स्वास्थ्य को खतरा तथा क्षति पहुँचाना।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा—133)

इस ध्वनि उत्पाद को वैध ठहराने वाला कोई भी बहाना स्वीकार्य नहीं है। दण्डनीय अपराध है।

फैक्ट्री अधिनियम 1988 (धारा 89, 90)

ध्वनि प्रदूषण से श्रमिकों को हुए नुकसान की जाँच में लापरवाही दण्डनीय अपराध है।

ध्वनि प्रदूषण के कारक

व्यावसायिक एवं औद्योगिक कारक

एयर कम्प्रेसर, हैमर, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रक, लोडर, बुल्डोजर आदि।

घरेलू कारक

कूलर, वाशिंग मशीन, फैन, टी0वी0, मोबाइल, वैंक्यूम क्लीनर आदि।

परिवहन

मोटरगाड़ी, ट्रैफिक, ट्रेन, जहाज, जेट, विमान, मिसाइल, इत्यादि।

ध्वनि स्रोत	ध्वनि (डेसीबल में)
श्रवण की देहली	0
पत्तियों की सरसराहट	10
अतिशांत स्थान की ध्वनि	20
फुसफुसाहट	30
शांत कार्यालय की ध्वनि	40
सामान्य बातचीत की ध्वनि	60
टेलीविजन	70
शांत कमरे की ध्वनि	40
जोर से चिल्लाना	90
स्वचलित वाहनों से उत्पन्न ध्वनि	90
जेट विमान	110
राकेट इंजन	180
ट्रक मोटर कार बस आदि	90
ज्वालामुखी विस्फोट	190

अध्ययन का उद्देश्य

मृदा का मनुष्य के जीवन में उसी प्रकार का महत्वपूर्ण स्थान है, जिस प्रकार का महत्वपूर्ण स्थान रक्त या खून का है। यदि मनुष्य के शरीर में रक्त नहीं है तो जीवन जीना असम्भव है। उसी प्रकार यदि सम्पूर्ण मृदा यदि प्रदूषित हो जायेगी तो अन्न एवं पेड़, पौधे, वनस्पति पृथ्वी पर उगना असम्भव हो जायेगी। यदि अन्न पैदा नहीं होगा तो मनुष्य को भोजन नहीं मिल पायेगा। यदि भोजना नहीं मिलेगा तो मनुष्य का जीवन नहीं रहेगा। इसलिए सम्पूर्ण मनुष्य जाति का मूल कर्तव्य है कि पृथ्वी की मृदा को सुरक्षित रखा जाये तभी जीवन सम्भव है। यही शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

ध्वनि का भी मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि ध्वनि का संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य उनके प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जायेगा और मनुष्य का जीवन जीना दुर्लभ हो जायेगा। इसलिए मनुष्य को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में रखना चाहिए। ध्वनि को सामान्य अवस्था में रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है। मृदा प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के बारे में जनमानस को जागृत करना शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है।

मृदा प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक गहन

अध्ययन

मृदा, पृथ्वी का वह ऊपरी भाग या परत है, जो मनुष्य (मानव) जाति को जीवन प्रदान करने वाला भाग है। मृदा के कारण ही पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अन्न, पेड़, पौध, वनस्पति, जड़ी-बूटी एवं अनेक प्रकार की जीवन दायनी वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। यदि इसी तरह मृदा प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो आगे जाकर अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। जिसके कारण मनुष्य को आगे चलकर अन्न एवं जीवन दायनी वनस्पतियाँ मिलना दुर्लभ हो जायेगा। इसलिए सभी जनमानस को मिलकर मृदा प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण लगातार मनुष्य द्वारा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, यदि ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो

पृथ्वी की मनुष्य जाति का जीवन जीना संकटग्रस्त हो जायेगा। इसलिए सम्पूर्ण जनमानस को ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। यदि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो पायेगा तो मनुष्य जाति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जायेगी। पूरी मानव जाति का जीवनयापन करना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में रखना सम्पूर्ण मानव जाति का मूल कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व है। मृदा प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण दोनों को सामान्य अवस्था में रखना जनमानस का मूल कर्तव्य एवं सम्पूर्ण उत्तर दायित्व है।

मृदा प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के अध्ययन का निष्कर्ष

1. मृदा प्रदूषण का गहन अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मृदा मनुष्य को जीवनप्रदान करने का साधन है। यदि मृदा सुरक्षित नहीं है तो मनुष्य का जीवन सुरक्षित नहीं है।
2. मृदा को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए कम से कम रासायनिक खदों एवं रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करना चाहिए।
3. मृदा को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा खादों-गोबर, पादप वनस्पतियों का उपयोग करना चाहिए। परम्परागत उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए।
4. यदि मृदा संरक्षित एवं सुरक्षित है तो अन्न, पेड़, पौधे, वनस्पति, जड़ी-बूटी एवं जीवन दायिनी वनस्पतियाँ सुरक्षित हैं।
5. ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है इसलिए सभी लोगों को मिलकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने का सकारात्मक एवं सामूहिक कदम उठाना चाहिए।
6. ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसके प्रभाव से मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जायेगा और अनेक प्रकार के गम्भीर रोगों से मनुष्य ग्रसित हो जायेगा।
7. ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सम्पूर्ण मानव जाति को मिलकर एक जुट एवं सामूहिक प्रयास करना चाहिए। जिससे ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से मनुष्य का जीवन बचाया जा सके।

मृदा प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में सुझाव

मृदा एवं ध्वनि दोनों मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जनमानस को चाहिए कि पृथ्वी

की मृदा परत को बचायें प्रदूषित होने से, यदि मृदा प्रदूषित हो जायेगी तो मनुष्य को खाने के लिए अनाज, अन्न, जीवन दायिनी जड़ी-बूटियाँ मिलना बन्द हो जायेगी। जब पृथ्वी की उर्वराशक्ति क्षीण हो जायेगी तो पृथ्वी पर मानव जीवन दुर्लभ हो जायेगा। इसलिए हम सभी मानव जाति का मूल कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है कि पृथ्वी की मृदा को प्रदूषित होने से बचाया जाये। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में रखना हम मानव जाति का मूल कर्तव्य है एवं उत्तरदायित्व है। यदि ध्वनि प्रदूषण अनियंत्रित हो गया तो ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के जटिल रोगों से ग्रसित हो जायेगा। इसलिए सभी को एक जुट होकर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में रखने का प्रयास करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पर्यावरण एवं परिस्थितिकी- लेखक हरी मोहन सिंह, अरुण कुमार सिंह, साहित्य भवन आगरा (उ०प्र०)
2. उपकार सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन-लेखक डॉ० आर०सी० जैन, डॉ० सूर्य नारायण पाण्डेय, उपकार प्रकाशन आगरा (उ०प्र०)
3. व्यावसायिक पर्यावरण लेखक- डॉ० जे०पी० मिश्रा, साहित्य भवन प्रकाश आगरा (उ०प्र०)
4. Lucent सामान्य अध्ययन परिस्थितिकी एवं पर्यावरण लेखक- संजीव कुमार Lucent Publication बिहार राज्य
5. समसामयिक वार्षिकी प्रतियोगिता दर्पण- लेखक डॉ० रविकान्त प्रतियोगिता दर्पण प्रकाशन- हैदराबाद
6. Lucent सामान्य ज्ञान लेखक-सुनील कुमार Lucent Publication पटना बिहार राज्य
7. वैश्विक पर्यावरण एवं सतत विकास- डॉ० अरविन्द शुक्ल- बुक पब्लिकेशन लखनऊ (उ०प्र०)
8. जनसंख्या विकास एवं पर्यावरण- प्रदूषण की चुनौतियाँ लेखक- डॉ० जे०पी० मिश्रा, डॉ० ममता बाजपेयी, डॉ० सी०एल० प्रजापति, प्रकाशन साहित्य संस्थान गाजियाबाद (उ०प्र०)
9. पर्यावरण अध्ययन- लेखक- डॉ० नरेन्द्र लाल सुराणा, डॉ० राजकुमारी सुराणा, एस०वी०पी०डी० प्रकाशन हाउस- आगरा (उ०प्र०)
10. योजना- फरवरी 2020
11. योजना- दिसम्बर 2019
12. करेन्ट अफेयर्स वार्षिकांक 2020